

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.४(२९)राज / वाद / २४

जयपुर, दिनांक १३।१०।२४

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लौं एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री श्याम पाल सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/ 1013/ 2013) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री रमण लाल बालोच, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

२४  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- १ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- २ संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- ३ विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- ४ निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- ५ महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- ६ राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- ७ संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- ८ संबंधित जिला कलक्टर।
- ९ संबंधित कोषाधिकारी।
- १० संबंधित अभियोजक।
- ११ अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- १२ राहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- १३ प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- १४ रक्षित पत्रावली।

२४।१०।२०२४  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(29)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 13/10/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, जैसलमेर में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु श्री प्रताप पुरी स्वामी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/ 1656/ 2005) को विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, जैसलमेर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री जेठाराम माली, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, जैसलमेर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

३०  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

१३/१०/२४

(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(29)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 13/10/24

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15 द्वारा प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री टीकूराम गर्ग, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/537/2003) को विशिष्ट न्यायालय, अजा/अजजा(अ0नि0प्र0), जैसलमेर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक अजा/अजजा(अ0नि0प्र0), जैसलमेर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री मनोहर सिंह नरावत, विशिष्ट लोक अभियोजक, अजा/अजजा(अ0नि0प्र0), जैसलमेर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

३०  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

13/10/2024  
(राजेश गुप्ता)  
शासन सचिव, विधि

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**  
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक: प.8(29)राज/वाद/24

::: आदेश :::

जयपुर, दिनांक १३।१०।२५

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं0 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर	श्री सुमित विरसा (आर/ 1396 / 2016)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, पोकरण जिला जैसलमेर	श्री समदर सिंह (आर/ 594 / 2003)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, पोकरण जिला जैसलमेर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-


क्र०सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री दीने खान	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जैसलमेर
2	श्री फिरोज खान	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, पोकरण जिला जैसलमेर

आज्ञा से

२०  
 (राजेश गुप्ता)  
 शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशेष सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अस्तिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।

  
 १३।१०।२५  
 (राजेश गुप्ता)  
 शासन सचिव, विधि